

प्रेषक,

शिवजनम चौधरी
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ। | 2 | अधिशाली निदेशक,
आवास बन्धु, उ०प्र०, लखनऊ। |
| 3 | उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ। | 4 | मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उ०प्र०, लखनऊ। |

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 01 जून, 2017

विषय:प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) के उ०प्र० में सुचारू क्रियान्वयन हेतु राजस्थान, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में की जा रही कार्यवाहियों का सम्यक अध्ययन किये जाने हेतु टीम गठित करने के संबंध में।

महोदय,

प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) के प्रदेश में क्रियान्वयन हेतु देश के विभिन्न राज्यों में इस योजना के अन्तर्गत की जा रही कार्यवाहियों का एक सम्यक अध्ययन किया जाना आवश्यक है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एफोर्डेबल हाउसिंग/प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रदेश में सुचारू क्रियान्वयन हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन एवं निजी विकासकर्ताओं की निम्नलिखित 04 टीमों का गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

- (1) राजस्थान
 1. श्री संजीव कुमार सिन्हा, निदेशक, आवास बन्धु, उ०प्र०।
 2. श्री निलेश कटियार, सहायक नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र०।
 2. श्री जयकेश त्रिपाठी, विकासकर्ता/बिल्डर, लखनऊ।
- (2) गुजरात
 1. श्री मो० सलीम अहमद, मुख्य अभियन्ता, आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
 2. श्री संजीव कश्यप, वस्तुविद नियोजक, आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
 3. श्री अनुज अग्रवाल, विकासकर्ता/बिल्डर, नोयडा/गाजियाबाद।
- (3) आन्ध्र प्रदेश
 1. श्री ओ०पी० मिश्र, मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
 2. श्री जे०एन० रेड्डी, मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
 3. श्री पारस जैन, विकासकर्ता/बिल्डर, गाजियाबाद।
- (4) मध्य प्रदेश
 1. श्री एस०के० श्रीवास्तव, निदेशक, आवास बन्धु, उ०प्र०।
 2. श्री अशोक कुमार, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग सम्बद्ध आवास बन्धु।
 3. श्री पीयूष गर्ग, विकासकर्ता/बिल्डर, हापुड एवं गाजियाबाद।

3- उपरोक्त गठित टीम द्वारा उल्लिखित राज्यों में जाकर संलग्न प्रपत्र पर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास (शहरी)/एफोर्डेबल हाउसिंग के क्रियान्वयन का अध्ययन कर एक विस्तृत रिपोर्ट आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन को एक सप्ताह में प्रस्तुत करेगी।

भवदीय,
शिवजनम चौधरी
विशेष सचिव

संख्या-4/2017/1041(1)/आठ-1-17, दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को तदनुसार अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त संबंधित अधिकारियों को अनुपालनार्थ प्रेषित।
3. समस्त संबंधित विकासकर्ता/बिल्डर्स को अनुपालन प्रेषित।

आज्ञा से,
शिवजनम चौधरी
विशेष सचिव।